

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ03-41/2017/26-2
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23/12/2017

1. समस्त कलेक्टर म.प्र.
2. समस्त आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी म.प्र.
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत म.प्र.

विषय- "समाधान एक दिन-तत्काल सेवा" व्यवस्था के अंतर्गत कन्या अभिभावक पेंशन स्वीकृत करने विषयक।

1. सेवा का उद्देश्य- तत्काल सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से एक दिवस में कन्या अभिभावक पेंशन स्वीकृत करने के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रदाय किया जा रहा है। योजनान्तर्गत 500/- रु पेंशन प्रतिमाह हितग्राही के खाते में प्रदान की जाती है।

2. पदाभिहित अधिकारी का पद नाम एवं समय सीमा -

जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, समय सीमा 1 दिवस

3. पात्रता के मापदंड -

- आवेदक/आवेदिका मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
- दम्पति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो।
- दम्पति की मात्र संतान के रूप में सिर्फ पुत्री हो।
- दम्पति आयकरदाता न हो।

4. आवश्यक दस्तावेज एवं परीक्षण की प्रक्रिया-

क्र.	आवश्यक दस्तावेज	परीक्षण की प्रक्रिया
1	आयु प्रमाण पत्र (निम्न में से कोई एक) <ul style="list-style-type: none">• स्कूल का प्रमाणपत्र/अंकसूची• जन्म प्रमाणपत्र• मतदाता सूची• स्वयं का मतदाता परिचय पत्र• मनरेगा जॉब कार्ड• चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र• उपरोक्त में से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु के संबंध में शपथ पत्र	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर
2	युगल दम्पति का संयुक्त फोटो/एकल	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार



	होने की स्थिति में एकल फोटो	पर
3	आवेदक/आवेदिका का आधार की छायाप्रति। (यदि हो तो)	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर
4	आवेदक/आवेदिका का समग्र आई.डी.	सत्यापन समग्र पोर्टल (samagra.gov.in) से
5	जिन दम्पति की केवल कन्या ही हुई है और कोई जीवित पुत्र नहीं है की पुष्टि निम्नांकित दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर की जाये :- <ul style="list-style-type: none"> ● राशन कार्ड। ● मतदाता निर्वाचक नामावली जिसमें दम्पति का नाम एवं परिवार के सदस्यों का नाम हो। ● ग्राम पंचायत/वार्ड प्रभारी का प्रमाण पत्र। ● आंगनबाड़ी/आशा कार्यकर्ता की रिपोर्ट पंजी। 	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर
6	दम्पति द्वारा इस आशय का स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र कि वह आयकरदाता नहीं हैं और न ही उनकी कोई संतान के रूप में पुत्र है।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र के आधार पर
7	विधवा महिला हेतु — सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र। परित्यक्त महिला हेतु — माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर
8	आवेदक/आवेदिका की बैंक/पोस्ट ऑफिस की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें आवेदक का नाम एवं खाता क्रमांक एवं आई.एफ.एस. कोड स्पष्ट दिखाई दे रहा हो।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर

5. आवेदन करने का स्थान— लोक सेवा केंद्र

6. आवेदन करने की प्रक्रिया —

6.1 पात्रता अनुसार पूर्ण दस्तावेज सहित आवेदन लोक सेवा केंद्र में स्वीकार किये जायेंगे।

6.2 आवेदन का पंजीयन लोक सेवा केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा।

6.3 आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत संलग्न प्रारूप में आवेदक को प्रदाय की जावेगी।



6.4 आवेदन भरते समय आवेदक/अन्य किसी संबंधित व्यक्ति का मोबाईल नम्बर भरना अनिवार्य होगा, इसके अलावा अगर आधार एवं ईमेल एड्रेस (यदि उपलब्ध हो) भी भरा जायेगा।

6.5 आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम-16 में निर्धारित पंजी में किया जायेगा।

7. आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया –

7.1 लोक सेवा केंद्र ऑपरेटर द्वारा आवेदन सबमिट करते ही आवेदन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर संबंधित पदाभिहित अधिकारी के एकाउंट में प्रदर्शित होने लगेगा।

7.2 पदाभिहित अधिकारी द्वारा कंडिका 4 अनुसार पात्रता एवं दस्तावेज का परीक्षण किया जाएगा।

7.3 यदि आवेदक पात्र है तो पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का निराकरण कर समग्र पोर्टल से स्वीकृति आदेश जारी करते हुए स्वीकृति आदेश की प्रति **mpedistrict** पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा।

7.4 प्रत्येक माह की 22 तारीख तक स्वीकृत होने वाले पेंशन प्रकरणों का भुगतान अगले माह से प्रारंभ किया जाएगा। (इसका उल्लेख स्वीकृति आदेश में भी होगा)

7.5 यदि आवेदक अपात्र है तो अपात्रता का स्पष्ट युक्तियुक्त कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

7.6 इस तरह जारी होने वाली समस्त पंजीयन/सूचनाओं की एक डिजीटल रिपोजटरी वेबसाईट/पोर्टल पर संधारित की जायेगी।

8. अपील:— समाधान एक दिवस प्रक्रिया में भी अधिनियम अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार आवेदक लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्रावधानों अनुसार अपील कर सकेगा।

9. रिमार्क:— योजनान्तर्गत पेंशन की स्वीकृति/अस्वीकृति हेतु विभाग द्वारा पूर्व से अधिकृत विभागीय संस्था/अधिकारी लोक सेवा केन्द्रों के अतिरिक्त कार्य करते रहेंगे।


(बबीता वसुनिया)

अवर सचिव
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
3. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र.शासन, भोपाल।
4. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, म.प्र. भोपाल।
5. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. भोपाल।
6. आयुक्त, पंचायती राज संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, विंध्याचल भवन भोपाल।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
10. समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण।



अवर सचिव

म.प्र. शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग

स्वप्रमाणित घोषणा पत्र

हम/श्री पिता का नाम

श्रीमती उम्र

निवासी

जिला घोषणा करते हैं कि

1. हम मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं।
2. हम दोनों की आयु क्रमशः पति वर्ष पत्नीवर्ष है।
3. हमारी कोई पुत्र संतान नहीं है।
4. हम आयकरदाता नहीं हैं।
5. हमारी निम्नांकित पुत्रियां हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०	पुत्री का नाम	वैवाहिक स्थिति विवाहित/अविवाहित	विवाहित होने के की स्थिति में विवाह की तिथि
1			
2			
3			

हम इस योजना के अंतर्गत अन्य कोई स्थान से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

उपरोक्त जानकारी हमारे ज्ञान के आधार पर सत्य और सही है। इसमें किसी तरह के असत्य जानकारी और कोई तथ्य छिपाया नहीं है। कोई भी असत्य जानकारी पाये जाने पर हमारी पेंशन बंद कर दी जाये ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि शासन को वापस कर दी जायेगी।

गवाह

1. नाम एवं हस्ताक्षर.....
2. नाम एवं हस्ताक्षर..

हस्ताक्षर पति

हस्ताक्षर पत्नी